राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

कमांकः-पीए/पीडी,ईजीएस/निरीक्षण/2009 जयपुर, दिनांक 18/3/03.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंचायत राज विभाग के कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय जांच समय पर पूर्ण करवाने बाबत।

महोदय,

प्रायः ऐसा देखने में आया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा की गई जांच/निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर पंचायती राज कार्मिकों के विरूद्ध आरोप आरोपित होने के उपरांत भी उनके विरूद्ध विभागीय जांच समय पर पूर्ण नहीं की जाती है, जिसके कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। अतः RCS (CCA) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जांच अधिकतम तीन माह में पूरी कर नियम 299(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अंतर्गत अविलंब शास्ति आरोपित की जावें।

इसी प्रकार के एक प्रकरण में पारित आदेश की प्रति संलग्न की जा रही है, जिससे आपको RCS (CCA) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जांच समय पर पूरी कर नियम 299(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अंतर्गत अविलंब शास्ति आरोपित करने में सुविधा रहेगी।

भवदीय,

संलग्नः-उपरोक्तानुसार किता-2.

(रामनिवास मेहता)
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त(राजस्थान) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

D:\RAM\RAM.doc

कार्यालय जिला परिषद, बारां (राजस्थान)

कमांक:–स्थापना/जिप/2008/जगदीश भार्गव/3016-22 दिनांक:– 6/8/08

::: आ दे श :::

श्री जगदीश भार्गव, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (निलम्बित) पंचायत समिति–शाहबाद के विरूद्व नियम–16 सीसीए राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील नियम–1958 अन्तर्गत विभागीय जांच करवाने हेतु इस कार्यालय के आदेश कमांक:– जिपरि /स्था/पराविं /जगभा/08/889–90 दिनांक 24.03.2008 द्वारा लेखाधिकारी, जिला परिषद, बारां को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवायी गयी। जांच अधिकारी ने आरोपी कर्मचारी श्री जगदीश भार्गव एवं विभागीय प्रतिनिधी श्री लक्ष्मणलाल गुरू विकास अधिकारी, पंचायत समिति–शाहबाद को अपनी उपस्थिति में अपना पक्ष एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समुचित एवं युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20.06.2008 को प्रस्तुत की। श्री भार्गव के विरूद्व आरोप संख्या–1 के सम्बन्ध में जाचं अधिकारी ने रेकार्ड न्यायालय में होने के कारण कोई निष्कर्ष नही दिया।

आरोप संख्या–2 में श्री भार्गव द्वारा राशि रूपये 145500/– ग्राम पंचायत के खाते से अपने रिश्तेदारों के नाम चैक जारी करके रोकड बही में इन रिश्तेदारों का नाम अंकन नही करते हुए अनाधिकृत तरीकें से राशि आहरण कर गबन करने का आरोप था। इस राशि के सम्बन्ध में श्री भार्गव द्वारा ग्राम पंचायत–गणेशपुरा के ग्राम सचिव के रूप में कार्य करते हुए दिनांक 01.09.2005 को 30000/–, 15.09.2005 को 10000/–, 26.11.2005 को 40000/–, 06.12.2005 को 25000/–, 26.12.2005 को 10500/–, 31.01.2006 को 30000/– कुल 145000/– रूपये स्वयं के पुत्र श्री सुरेन्द्र भार्गव, श्री अनिल कुमार भार्गव एवं भांजे श्री सुनील कुमार भार्गव के नाम जारी करने के आरोप को सिद्व पाया गया एवं इस आहरित राशि में आहरणकर्ता के नाम का कैशबुक में अंकन नही कर तथ्य को छुपाना स्पष्ट होता है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति–शाहबाद द्वारा नोटिस देने पर श्री भार्गव द्वारा 15000/– रूपये की राशि दिनांक 03.09.2007 को ग्राम पंचायत के खाते में पुनः जमा करवाना अंकित किया है। श्री भार्गव को जांच रिपोर्ट की प्रति दिनांक 09.07.2008 को उपलब्ध करवाकर दिनांक 21.07.2008 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह ज्ञात होता हो कि आरोपी कर्मचारी द्वारा गबन नहीं किया गया हो। ग्राम पंचायत के खाते में प्राप्त राजकीय धन को बिना कैशबुक में प्राप्तकर्ताओं का नाम अंकित किये बिना बेईमानी से अपने रिश्तेदारों के नाम चुपके–चुपके 145500/– रूपये की राशि निकलवा लेने की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि श्री भार्गव ने इस राशि का दुर्विनियोग (Misappropriation) एवं गबन (Enbezzlement) किया है। ऐसा व्यक्ति राजकीय कर्मचारी के रूप में रहने हेतु किसी भी प्रकार से योग्य नही है। जांच अधिकारी ने वाउचर संख्या 51 से रूपये 30000/– एवं वाउचर संख्या 53 से रूपये 50000/– राजकीय खाते से निकलवाकर सरपंच के नामें अग्रिम दिये जाने को भी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994 के अंतर्गत निर्मित नियम 1996 के नियम–211(3) जिसमें 1000/- से अधिक की राशि अग्रिम रूप से किसी को भी नही दिये जाने का उल्लेख है, का उल्लघंन करने का दोषी भी पाया गया है।

कार्यालय जिला परिषद बारां

क्रमांकः जिप / वसूली / पंचायत समिति शाहबाद / 08 / 4334-410 दिनांक 26-3-08

आदेश

श्री जगदीश भार्गव ,तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत गणेशपुरा पंचायत समिति शाहबाद हॉल निलम्बित जिला परिषद बारां द्वारा दिनांक 27.3.05 से 14.9.06 तक ग्राम पंचायत गणेशपुरा में पद स्थापन के दौरान सहरिया विशेष रोजगार योजना में स्वीकृत एवं सम्पादित 10 निर्माण कार्य , जिन्हे श्री भार्गव द्वारा मार्च 06 मे पूर्ण होना बताया गया था का अगस्त 2007 में तकनीकी दल द्वारा निरीक्षण मूल्यांकन किये जाने पर कार्य अपूर्ण पाये गये एवं रूपये 508598/– मूल्यांकन से अधिक व्यय होना पाये गये। इसी प्रकरण में श्री भार्गव के विरूद्व पुलिस थाना केलवाडा में प्राथमिकी रिपोर्ट संख्या 128/07 अंतर्गत धारा 420,406,408,409,467,468 भारतीय दण्ड संहिता में भी दर्ज विकास अधिकारी द्वारा दर्ज करवायी गई थी एवं श्री भार्गव दिनांक14.12.2007 से दिनांक28.01.2008 तक न्यायिक हिरासत में भी रहे हैं।

निर्माण कार्यो पर मूल्यांकन से अधिक व्यय की गई राशि राजस्थान पंचायतीराज नियम के नियम 211(5) के तहत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव तथा सरपंच से बराबर – बराबर मय 18 प्रतिशत ब्याज से वसूली योग्य है। श्री भार्गव से मूल्यांकन से अधिक व्यय की गई राशि की आधी राशि अर्थात 254299/– मय 18 प्रतिशत ब्याज के वसूली योग्य है।

उक्त मूल्यांकन से अधिक व्यय की गई राशि राजकोष में जमा कराने हेतु श्री जगदीश भार्गव को विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहबाद द्वारा कमांक प.स.शा/ निर्माण 2007–08 / 7501–03 दिनांक 31.1.08 द्वारा लिखा गया। ततपश्चात इस कार्यालय के पत्रांक जिप/ पंचा/ गबन/ 08/ 4109–10 दिनांक 2.2.08 एवं पंत्रांक जिप/ वसूली/ पंचा/ 08/ 4215–16 दिनांक 4.3.08 द्वारा मूल्यांकन से अधिक व्यय की गई राशि राजकोष में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त पत्र कमश दि. 6.2.08 एवं 12.3.08 को श्री भागर्व से तामील हो चुके है। श्री भार्गव को दिनांक 13.3.08 तक राशि जमा कराने एवं इस कार्यालय को सूचना प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने के बावजूद भी उन द्वारा कोई राशि जमा नहीं करवाई गई यहां तक कि उन्होने तो प्रतिउत्तर भी प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा।

इस प्रकार के मामलों में वसूली एवं विधिक कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार ने अधिसूचना कमांकः– 9(4)राज–6/2005/20 दिनांक 08.08.2005 एवं परिपत्र कमांकःएफ–4(14)परावि/विधि/पीडीआरएक्ट/05/3895दिनांक27.12.2005द्वारा ~~जिला कलक्टर के~~ अधिकारी ~~अधोहस्ताक्षरकर्ता~~ को प्रत्यायोजन कर दिया है।

श्री जगदीश भार्गव को निर्माण कार्यो पर मूल्यांकन से अधिक व्यय की गई राशि के लिये बराबर का उत्तरदायी मानते हुए आधी राशि अर्थात 254299रू0 मय 18 प्रतिशत ब्याज जो दिनांक 14.9.06 से देय है, की वसूली श्री जगदीश भार्गव की सामान्य प्रावधायी निधि, राज्य बीमा, ग्रेच्यूटी, उपार्जित अवकाश नकद भुगतान एवं अन्य पेंशन परिलाभों से वसूली की जावे। इस आदेश का अंकन दोषी ग्राम सेवक की सेवा पुस्तिका में भी किया जावे।

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद बारां

क्रमांकः जिप / वसूली / पंचायत समिति शाहबाद / 08 / 4334-410 दिनांक 26-3-08

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, पंचायतीराज विभाग, जयपुर
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, बारां ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,बारां
4. परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिकी) जिला परिषद, बारां
5. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद, बारां
6. ~~विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहबाद~~ को दिनांक 31.03.08 तक पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु।
7. श्री जगदीश भार्गव ग्राम सेवक एवं पेदन सचिव पंचायत समिति शाहबाद हॉल निलम्बित,
   मुख्यालय जिला परिषद, बारां
8. रक्षित

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी